

जिस भाषा का कार्यक्रम होगा उसी में दिखाने होंगे कलाकारों और तकनीशियनों के नाम

सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल्स को आदेश दिया है कि वे हिंदी अथवा प्रादेशिक भाषा में किसी भी सीरियल अथवा प्रोग्राम का प्रसारण करते समय उसकी कास्टिंग/क्रेडिट्स/टाइटल को संबंधित भाषा में भी डिस्प्ले करें। मंत्रालय का कहना है कि वर्तमान में कई हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं के टीवी चैनल्स इन डिटेल्स को सिर्फ अंग्रेजी में डिस्प्ले करते हैं। मंत्रालय का कहना है कि इस तरह की कवायद से स्थानीय भाषा को बढ़ावा मिलेगा और देश के टीवी व्युअर्स के लिए यह फायदेमंद होगी।

मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, 'देखने में आया है कि हिंदी और प्रादेशिक भाषा के कई टीवी चैनल्स, हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं के जो सीरियल्स दिखाते हैं, उनमें कास्टिंग/क्रेडिट्स/टाइटल सिर्फ अंग्रेजी में डिस्प्ले करते हैं। ऐसा करने से हिंदी और प्रादेशिक भाषा के दर्शकों को टीवी सीरियल्स/प्रोग्राम्स की कास्टिंग के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है।'

मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि देश में टीवी दर्शकों की संख्या बढ़ाने और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए सभी प्राइवेट सैटेलाइट चैनल्स को ये सलाह दी जाती है कि वे जब भी हिंदी या प्रादेशिक भाषा में किसी सीरियल अथवा कार्यक्रम का प्रसारण करें तो कार्यक्रम की कास्टिंग/क्रेडिट्स/टाइटल्स को संबंधित भाषा में भी डिस्प्ले करें।

इस बारे में सूचना-प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि ऐसे टीवी चैनल्स यदि भारतीय भाषा के अलावा अंग्रेजी में भी टाइटल्स और क्रेडिट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। सिनेमा के लिए भी ऐसा ही आदेश जारी किया जा रहा है।